न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/750

1. सीमा पुत्री ज्योतिस्वरूप,
2. इन्दु पुत्री ज्योतिस्वरूप,
3. निर्मला पुत्री ज्योतिस्वरूप,
4. रजनी पुत्री ज्योतिस्वरूप,
5. योगेश कुमार पुत्र ज्योतिस्वरूप,
6. ऊषा पुत्री रामप्रताप, समस्त जातियान ब्राहम्ण, समस्त निवासीगण ग्राम माजरी कला, तहसील नीमराना, राजस्थान।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. निहाली पुत्री रामचन्द्र जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम माजरी कला, तहसील नीमराणा हाल पत्नि साधूराम, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम रतनपुरा तहसील बानसूर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत माजरी कला पंचायत समिति नीमराना।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमराना।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना, जिला अलवर निर्णय दिनांक 10.07.2023 अपील संख्या 7/2020 उनवानी निहाली बनाम योगेश कुमार वगैरहा पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री जितेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री संदीप कुमार मीणा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांक – 23.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 10.07.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने ग्राम पंचायत माजरी कलां, तहसील नीमराना बाबत इंतकाल संख्या 08 वाके ग्राम माजरी कलां के आदेश दिनांक 30.10.1988 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना, जिला अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना, जिला अलवर ने अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत माजरी कलां, पंचायत समिति नीमराना के आदेश दिनांक 30.10.1988 बाबत् इन्तकाल संख्या 08 वाके ग्राम माजरी कलां को निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार, नीमराना को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वो मृतक नारायणी देवी बेवा श्रीराम के विधिक वारिसान की जॉच कर पुनः निर्णय किये जाने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2023 पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 10.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट सीमा पुत्री ज्योतिस्वरूप वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 10.07.2023 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि, विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित जाकर जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.07.2023 पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण के पक्ष में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा जो नामान्तकरण की कार्यवाही की गई थी, वह स्वर्गीय नारायणी देवी द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 03.07.1974 के आधार पर की गई थी तथा उपरोक्त दस्तावेज जो कि वसीयत है तथा उपरोक्त वसीयत के आधार पर ही नामान्तकरण की कार्यवाही की गई है जो कि विधि अनुसार की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अहम कानूनी बिन्दु को नजरअन्दाज कर निर्णय दिनांक 10.07.2023 पारित किया गया है, जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वसीयत के संदर्भ में आपत्ति प्रस्तुत की गई थी तथा अपीलार्थीगण द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में यह स्पष्ट रूप से निवेदन किया गया था कि उक्त वसीयत दिनांक 30.07.1974 को निरस्त करवाये जाने के लिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आज दिवस तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, ना ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपील के अलावा कोई एतराज किया गया है ओर ना ही इस संबंध में कोई फौजदारी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई गई है। इसलिये उक्त दस्तावेज विवाद रहित है तथा उपरोक्त दस्तावेजात के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही की गई है, जो कि विधि अनुसार की गई है।

वसीयत दिनांक 03.04.1974 स्वर्गीय नारायणी देवी द्वारा अपने जीवनकाल में निष्पादित की गई थी तथा उपरोक्त वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 30.10.1988 को इंतकाल संख्या 8 स्वीकृत किया गया था तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उपरोक्त वसीयत के संदर्भ में पूर्ण रूप से जानकारी थी। इसके बावजूद उपरोक्त वसीयत के संदर्भ में किसी प्रकार का एतराज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नहीं किया गया, केवल मात्र अपीलार्थीगण से अवैध रूप से रूपये ऐठने की गरज से एवं मुकदमों को बढावा देने के उद्देश्य से अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा केवल मात्र निर्णय दिनांक 10.07.2023 इस आधार पर पारित किया गया है कि उपरोक्त वसीयत दिनांक 03.04.1974 अन–रजिस्टर्ड है, लेकिन प्रकरण में दौराने विचारण आये, दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्यों की उपरोक्त वसीयत के संदर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आज दिवस तक किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अमल में क्यों नहीं लाई गई तथा उपरोक्त वसीयत को खारिज करवाने हेतु किसी प्रकार की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजात को नजर अंदाज कर उक्त निर्णय पारित किया गया है, जो कि अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 10.07.2023 निरस्त फरमाया जावें और आदेश दिनांक 30.10.1988 बाबत् इन्तकाल संख्या 08 वाके ग्राम माजरी कलां, तहसील नीमराना, जिला अलवर को यथावत रखा जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्टा व रेस्पो० सं. 01 लगा. 06 व तर० रेस्पो० सं. 10 मृतक नारायणी देवी पत्नी श्रीराम के विधिक वारिसान है। जिनका सजरे के अनुसार श्योनारायण व उसका भाई और था, जो दोनों फौत हो चुके है। जिनमें श्योनारायण के दो पुत्र रामस्वरूप व रामचन्द्र पैदा हुये। श्रीराम शादीशुदा था, जिसके कोई संतान पैदा नहीं हुई। श्रीराम के फौत होने के पश्चात उसकी विरासत का इंतकाल उसकी पत्नी मुस० नारायणी देवी के नाम दर्ज हुआ। रामस्वरूप के दो लडके ज्योतिस्वरूप व रामप्रताप पैदा हुये तथा रामचन्द्र के दो लडकी सावित्री व निहाली पैदा हुई, जो दोनों जीवित है ज्योतिस्वरूप फौत हो चुका है जिनके एक लडका योगेश व चार लडकी इन्दू, सीमा, निर्मला, रजनी जो सभी जीवित है तथा रामप्रताप भी फौत हो चुका है, जिनके एक लडकी उषा पैदा हुई है, जो जीवित है तथा श्रीराम लावल्द फौत हुआ है। जिसकी विरासत का इंतकाल उसकी पत्नी नारायणी देवी के नाम चढा था ओर नारायणी देवी ने भी अपने जीवन काल में किसी को भी गोद नहीं लिया व ना ही किसी के पक्ष में किसी प्रकार की वसीयत लिखी थी। नारायणी देवी की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान

की हैसियत से उसकी चल अचल संपति के 1/2 भाग पर मिन अपीलान्ट निहाली व तर० रेस्पो० सावित्री एवं 1/2 हिस्से पर ज्योतिस्वरूप व रामप्रताप काबिज हो गये थे। तथा ज्योतिस्वरूप की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का इंतकाल उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी व लडका योगेश के नाम दर्ज हो गया। लक्ष्मी देवी फौत हो गई है, जिनका विधिक वारिस योगेश कुमार है तथा रामप्रताप की भी मृत्यु हो गई है, जिनके विधिक वारिस उषा है। हाल अपीलान्ट्स के पिता ज्योतिस्वरूप व रामप्रताप पुत्रान रामस्वरूप बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति थे जिन्होंने आपस में मिल कर नारायणी देवी की कृषि भूमि को अकेले ही हड़पने की गर्ज से नारायणी देवी की मृत्यु के बाद एक अन–रजिस्टर्ड फर्जी वसीयत सादा कागज पर लिख कर बिना अपीलान्टा व तर०रेस्पो० को बताये व बिना हमारी जानकारी में फर्जी वसीयत के आधार नारायणी देवी की विरासत का इंतकाल सं० 08 पटवारी हल्का से साजबाज हो कर दोनों भाईयों ने अपने नाम दर्ज कराकर उसे सरपंच से साजबाज होकर अपने नाम स्वीकृत करवा लिया। उस समय सरपंच ने भी यह जानते हुये कि नारायणी देवी के विधिक वारिसान रामचन्द्र की पुत्री सावित्री व निहाली भी जीवत है, जिनके नाम से 1/2 हिस्से का इंतकाल दर्ज होना चाहिए था लेकिन फिर भी सरपंच द्वारा मिन अपीलान्टा निहाली व तर० रेस्पो० सावित्री को सुने व बिना हमें नोटिस दिये ही अन–रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर दर्ज इंतकाल को स्वीकृत कर दिया गया। जो इंतकाल सं. 08 ग्राम माजरी कलां खिलाफ मौका, कानून, बिना हक व अधिकार के सरपंच ग्राम पंचायत माजरी कलां द्वारा दिनांक 30.10.1988 को स्वीकृत किया गया है तथा कानूनन किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी किसी भी चल व अचल संपत्ति की बाबत् कोरे कागज पर अन–रजिस्टर्ड वसीयत लिखी जाती है तो उस वसीयत को सिविल न्यायालय से बिना प्रोबेट करवाये वसीयत का कानून में कोई प्रभाव नहीं है और साथ ही किसी भी प्रकार की वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किये जाने बाबत् निर्णय तहसीलदार को पारित किये जाने का अधिकार दिया गया है। पटवारी हल्का या सरपंच को वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इसलिए सरपंच ग्राम पंचायत माजरी कलां द्वारा स्वीकृत इंतकाल सं. 08 दिनांक 30.10.88 काबिल खारिज है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना, जिला अलवर ने अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किया जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत माजरी कलां, पंचायत समिति नीमराना के आदेश दिनांक 30.10.1988 बाबत् इन्तकाल संख्या 08 वाके ग्राम माजरी कलां को निरस्त किया गया एवं प्रकरण तहसीलदार, नीमराना को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वो मृतक नारायणी देवी बेवा श्रीराम के विधिक वारिसान की जॉच कर पुनः निर्णय किये जाने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2023 पारित किये गये है, जो उचित एवं विधिसम्मय है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना, जिला अलवर की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2023 में धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में एवं जिस सम्पति की वसीयत की गई है वह स्व–अर्जित सम्पति है अथवा वंशानुगत तथा क्या उक्त सम्पति वसीयत योग्य है अथवा नहीं एवं क्या राजस्थान राज्य में वसीयत का प्रोबेट करवाया जाना समस्त मामलों हेतु अपरिहार्य है अथवा वैकल्पिक के संबंध में कोई निष्कर्षात्मक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त वसीयत के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है अथवा नहीं एवं वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है अथवा नहीं। यदि पक्षकारों को वसीयत के संबंध में कोई आक्षेप है तो क्या मात्र नामान्तकरण को चुनौती देकर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं भी एक यक्ष प्रश्न है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (अलवर) को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित कर

निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में निर्णय कर उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में बिन्दुवार विधिवत निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना, जिला अलवर का अपीलाधीन दिनांक 10.07.2023 निरस्त किया जाता है एवं इन्तकाल संख्या 08 दिनांक 30.10.1988 ग्राम पंचायत माजरी कलां तहसील नीमराना, जिला अलवर बहाल रखा जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना, जिला अलवर, हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में निर्णय कर निम्न बिन्दुओं के संबंध में बिन्दुवार विधिवत निर्णय पारित करें :–

1. जिस सम्पति की वसीयत की गई है वह स्व–अर्जित सम्पति है अथवा वंशानुगत तथा क्या उक्त सम्पति वसीयत योग्य है अथवा नहीं एवं क्या राजस्थान राज्य में वसीयत का प्रोबेट करवाया जाना समस्त मामलों हेतु अपरिहार्य है अथवा वैकल्पिक ?
2. वसीयत के संबंध में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है अथवा नहीं एवं वसीयत को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है अथवा नहीं। यदि पक्षकारों को वसीयत के संबंध में कोई आक्षेप है तो क्या मात्र नामान्तकरण को चुनौती देकर ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं भी एक यक्ष प्रश्न है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर